85

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 1388–तीन/1999 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 4–8–1999– पारित द्वारा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 222–अ–6/1991–92 अपील

1– रेवती प्रसाद साकेत पुत्र सुरतानी
2– जमुना प्रसाद साकेत अवयस्क पुत्र
सरतानी संरक्ष भाई रेवती प्रसाद निवासी
ग्राम कदेला तहसील सिरमौर जिला रीवा ——आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती रानी पत्नि स्व.बैसाखू साकेत
2– जानकी पुत्र स्व. बैसाखू साकेत
3– सुश्री मनविसरी 4– सुश्री मुहल्ली
5– सुश्री मउआ 6– सुश्री पंखी
पुत्रियां स्व. बैसाखू साकेत
सभी ग्राम कंदला तहसील सिरमौर जिला रीवा ——अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 17–7– 2018 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र.क्र. 222–अ–6/1991–92 अपील में पारित आदेश दिनांक 4–8–99 के विरूद्ध म0प्र0 भू रा0 संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है **बैसाखू साकेत** ने ग्राम कदैला की भूमि स. क्र. 42 रकबा 0.42 एकड़ के भाग 1/2 अर्थात 0.21 एकड़ पर नामांतरण का आवेदन नायव

तहसीलदार सिरमौर को दिया, जिस पर से नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 32 अ—6/87—88 पॅजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 14—11—91 पारित करके बैसाखू साकेत का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी सिरमोर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने प्रकरण कमांक 26/88—89 अपील में पारित आदेश दिनांक 14—11—1991 से नायव तहसीलदार सिरमौर का आदेश दिनांक 14—11—91 निरस्त करते हुये प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्व आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र.क. 222—अ—6/1991—92 अपील में पारित आदेश दिनांक 4—8—99 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर का आदेश दिनांक 14—11—91 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक क—1 ने फर्जी एंव बनावटी विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण चाहा है। महिला गुजरतिया अंधी एंव गूँगी महिला है उसने अनावेदक के हित में कभी भी विक्रय पत्र नहीं लिखाया है विक्रय किये जाने वावत् साक्ष्य से विक्रय पत्र प्रमाणित कराना चाहिये, जो नहीं कराया गया है। अनुविभागीय अधिकारी ने कमियॉ पाकर ही विक्रय के पुष्टिकरण के लिये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है परन्तु अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण की गलत विवेचना करके आदेश दिनांक 4—8—99 पारित किया है इसलिये अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जावे।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने तथा उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 4—8—99 में विवेचना की है कि सुरतानी एंव समना ने उनके हक में भूमि हस्तांतरित किया जाना बताया है मौखिक अंतरण का कोई महत्व नहीं है और इस आधार पर

नायव तहसीलदार ने आपत्ति अस्वीकार की है। अपर आयुक्त ने प्रकरण की छानवीन पर पाया है कि पक्षकारों को तहसील न्यायालय में सुनवाई का पूरा पूरा अवसर प्राप्त हुआ है इसलिये नायव तहसीलदार ने पूर्ण जांच कर आदेश दिनांक 14—11—91 पारित किया है जिसके कारण प्रकरण को प्रत्यावर्तित करना औचित्यहीन पाया गया है। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र.क्र. 222—अ—6/1991—92 अपील में पारित आदेश दिनांक 4—8—99 में निष्कर्ष दिया है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की बैधता की जांच परख करने का अधिकार राजस्व अधिकारी नहीं नहीं है इसलिये नायव तहसीलदार व्दारा 14—11—91 से किया गया नामान्तरण उचित है जिसके कारण आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 4—8—99 में निकाले गये निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 222—अ—6/1991—92 अपील में पारित आदेश दिनांक 4—8—99 उचित होने से यथावत् रखते हुये निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर